न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2021/193

1. मांगीलाल पुत्र किशन लाल ।
2. बाबूलाल पुत्र किशन लाल जाति धाकड निवासीगण ग्राम लटूरी तहसील सांगोद जिला कोटा ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. सीताबाई पुत्री रामनारायण पत्नी मदन लाल (मृतक) जरिये कायममुकामान :—
   1/1. श्रीमती रामकन्या बाई पुत्री सीताबाई व मदनलाल पत्नी हेमराज जाति धाकड निवासी ग्राम कैलाशपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा ।
   1/2. रामहेत पुत्र सीताबाई व मदन लाल ।
   1/3. सुरेश पुत्र सीताबाई व मदनलाल ।
   1/4. धनराज पुत्र सीता बाई व मदन लाल ।
   1/5. महेन्द्र कुमार पुत्र सीता बाई व मदनलाल ।
   1/6. चन्द्रप्रकाश पुत्र सीता बाई व मदनलाल जाति धाकड निवासीगण ग्राम रेलावद तहसील सांगोद जिला कोटा ।
   1/7. श्रीमती मुखलेश पुत्री सीताबाई व मदनलाल पत्नी जगदीश जाति धाकड निवासी ग्राम अम्बापुरा तहसील व जिला बारां ।
2. कालूलाल पुत्र किशनलाल जाति धाकड निवासी लटूरी तहसील सांगोद जिला कोटा ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा ।
4. मांगीलाल पुत्र बलदेव व पाराबाई जाति धाकड ।
5. पप्पू पुत्र बलदेव व पारा बाई जाति धाकड निवासीगण ग्राम पीपलिया तहसील छबडा जिला बारां ।
6. श्रीमती बसन्ती बाई पुत्री बलदेव व पारा बाई पत्नी ओम प्रकाश जाति धाकड निवासी ग्राम कोलूखेडा तहसील छबडा जिला बारां ।
7. श्रीमती अनोख बाई पुत्री किशनलाल पत्नी तोलाराम जाति धाकड निवासी ग्राम नाहरिया तहसील सांगोद जिला कोटा ।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :— 1. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री जगदीश नन्दवाना, रेस्पोडेन्ट कम 1/1 से 1/7 की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 03.06.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.10.2021 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 01 मृतक सीताबाई ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 53 एवं 54 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि वादिनी के पिता स्वर्गीय रामनारायण जी के खाते एवं कब्जे में ग्राम लटूरी में खसरा नम्बर 54 रकबा 14 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 101 रकबा 22 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 290 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 527 की रकबा 03 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 532 की रकबा 02 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 100/611 रकबा 03 बीघा एवं खसरा नम्बर 432 की रकबा 12 बिस्वा कुल 07 किता की रकबा 47 बीघा 17 बिस्वा भूमि स्थित थी । वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में उक्त भूमि प्रतिवादी क्रम 01 मांगीलाल व प्रतिवादी क्रम 02 बाबूलाल के खाते में दर्ज है । वादग्रस्त आराजी वादिनी के पिता स्वर्गीय श्री रामनारायण जी के खाते की थी । वादिनी के पिता की सन् 1971 के आस–पास मृत्यु होने पर ग्राम पंचायत लटूरी द्वारा दिनांक 13.09.1972 को प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के पिता स्वर्गीय श्री किशनलाल को वादिनी के पिता रामनारायण का गोदपुत्र मानकर इंतकाल संख्या 89 तस्दीक किया । प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के पिता किशनलाल ने ग्राम पंचायत लटूरी से मिलकर अवैधानिक तरीके से तस्दीक किया है जिसमें वादिनी की बहिन मृतक धन्नी के लिए लिखा है कि वे अपना हिस्सा नहीं लेना चाहती जबकि इस बात का वादिनी को कोई इल्म नही है । हिन्दू उत्तराधिकार 1956 के मुताबिक स्वर्गीय श्री रामनारायण जी का फौती इंतकाल वादिनी की बहिन मृतक धन्नी बाई जो उस वक्त जिन्दा थी, वादिनी की माता देवबाई उर्फ कान्हा बाई तथा प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के पिता श्री किशनलाल के नाम संयुक्त रूप से तस्दीक होना चाहिए था । कानूनन किसी भी व्यक्ति के हिस्से का हस्तान्तरण विक्रय, दान अथवा रिलीज करवाये बिना हस्तान्तरित नहीं हो सका । ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत लटूरी द्वारा दिनांक 13.09.1972 को वादिनरी के पिता रामनारायण का फौती इंतकाल 89 प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के पिता किशनलाल व वादिनी की माता देवबाई उर्फ कान्ही बाई के नाम खोला गया है । कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । काननून प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के पिता किशनलाल का वादग्रस्त आराजी में 1/4 हिस्से पर ही क बनता है । वादिनी की माता देवबाई उर्फ कान्ही बाई जिसको बाद में राजस्व रिकॉर्ड में कान्ही बाई के बजाय काली बाई कर दिया है । ग्राम पंचायत लटूरी द्वारा दिनांक 23.12.1977 इंतकाल संख्या 149 प्रतिवादी क्रम 1व 2 के पिता श्री किशनलाल के पक्ष में तस्दीक कर दिया गया जो गलत है । जबकि देवबाई उर्फ कान्ही बाई के वादिनी व मृतक धन्नी बाई जायन्दा पुत्रियॉ थी व वैध वारिस थीं । वादग्रस्त आराजी में कानूनन किशनलाल व वादिनी की बहिन धन्नी बाई प्रत्येक का 1/3 – 1/3 हिस्सा बनता है । ग्राम पंचायत लटूरी द्वारा खोले गये इंतकाल संख्या 89 दिनांक 13.09.1972 एवं इंतकाल संख्या 149 रकबा 23.12.1977 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । वादिनी की माता एवं पिता की मृत्यु के बाद वादग्रस्त आराजी में किशनलाल जी का 1/3 हिस्सा बनता है । किशनलाल जी की मृत्यु के बाद उनका

फौती इंतकाल संख्या 450 दिनांक 07.06.1996 जो प्रतिवादी कम 1 व 2 के नाम तस्दीक यिा गया है वह निरस्त किये जाने योग्य है । वादिनी को अधिकार प्राप्त है कि वह सम्पूर्ण आराजी में अपने 1/3 हिस्से का स्वयं को सहखातेदार घोषित करावे ।

3. अतः वाद वादिनी स्वीकार किया जाकर वादिनी के पक्ष में इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी कम 1 व 2 का नाम हटाया जाकर वादग्रस्त आराजी के 1/3 हिस्से की वादिनी सहखातेदार होने से 1/3 हिस्से में सहखातेदार के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज किये जाने की घोषणा पारित की जावे। वादग्रस्त आराजी में वादिनी के 1/3 हिस्से का विभाजन किया जाकर वादिनी के पृथक खाते में दर्ज किया जावे तथा पृथक लगान कायम किया जावे ।

4. प्रतिवादी कम 1 व 2 ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वादिनी के वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादिनी का वादपत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 05.10.2021 एवं संशोधित निर्णय दिनांक 20.10.2021 के द्वारा वाद वादिनी स्वीकार विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित की ।

6. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.10.2021 से व्यथित होकर प्रतिवादी कम 1 व 2 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पूर्व में रामनारायण आत्मज देवलाल निवासी लटूरी के खाते व कब्जे काश्त में थी । रामनारायण जी का स्वर्गवास सन् 1971 में हो चुका है । रामनारायण के स्वर्गवास होने के उपरान्त इंतकाल संख्या 89 दिनांक 13.07.1972 को वादी रेस्पोडेन्ट कम 1/1 लगायत 1/7 की माता श्रीमती सीता बाई एवं धन्नी बाई पुत्री रामनारायण जी की सहमति से किशन लाल दत्तक पुत्र रामनारायण व कान्ही बाई उर्फ देवबाई बेवा स्व0 रामनारायण के खाते दर्ज की गई थी । इसके उपरान्त कान्ही बाई उर्फ देव बाई के स्वर्गवा होने पर उक्त सम्पूर्ण आराजी किशनलाल दत्तक पुत्र रामनारायण के खाते दर्ज की गई थी । वादी रेस्पोडेन्ट का उक्त भूमि से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है और कभी भी उक्त भूमि पर उनका कब्जा काश्त नहीं रहा है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.10.2021 एवं संशोधित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.10.2021 निरस्त फरमाये जावें ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । परीक्षण न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पूर्व में रामनारायण आत्मज देवलाल निवासी लटूरी के खाते व कब्जे काश्त में थी । रामनारायण जी का स्वर्गवास सन् 1971 में हो चुका है । रामनारायण के स्वर्गवास होने के उपरान्त इंतकाल संख्या 89 दिनांक 13.07.1972 को वादी रेस्पोडेन्ट कम 1/1 लगायत 1/7 की माता श्रीमती सीता बाई एवं धन्नी बाई पुत्री रामनारायण जी की सहमति से किशन लाल दत्तक पुत्र रामनारायण व कान्ही बाई उर्फ देवबाई बेवा स्व0 रामनारायण के खाते दर्ज की गई थी । इसके उपरान्त कान्ही बाई उर्फ देव बाई के स्वर्गवा होने पर उक्त सम्पूर्ण आराजी किशनलाल दत्तक पुत्र रामनारायण के खाते दर्ज की गई थी । वादी रेस्पोडेन्ट का उक्त भूमि से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है और कभी भी उक्त भूमि पर उनका कब्जा काश्त नहीं रहा है ।

किशनलाल जी अपने जीवनकाल में सम्पूर्ण आराजी पर निरन्तर बिना किसी बाधा के निर्बाध रूप से काबिज काश्त रहे तथा उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र अपीलान्टगण उक्त भूमि पर काबिज काश्त हुए और उक्त भूमि उनके खातेदारी में दर्ज की गई । परीक्षण न्यायालय ने दिनांक 08.02.2021 को प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी स्वीकार कर बसन्ती बाई पुत्री बदलेदव पत्नी ओमप्रकाश जाति धाकड को पक्षकार बनाया गया था। परीक्षण न्यायालय द्वारा बसन्ती बाई का जवाब बन्द किया गया जिसके विरूद्ध बसन्ती बाई द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी पेश की गई जिसमें माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने बसन्ती बाई को परीक्षण न्यायालय में जवाबदावा प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया था । ग्राम पंचायत के समक्ष रामनारायण जी की दोनों पुत्रियों द्वारा यह स्वीकार किया गया था कि वह उक्त आराजी में कोई हिस्सा नहीं लेना चाहती उनका हिस्सा किशनलाल व देव बाई उर्फ कान्ही बाई के खाते दर्ज कर दिया जावे इंतकाल पर बतौर सहमति अपना–अपना निशानी अंगूठा किया गया है । धन्नी बाई ने अपने जीवनकाल में बावजूद जानकारी के कोई चुनौती नहीं दी गई थी । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.10.2021 एवं संशोधित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.10.2021 निरस्त फरमाये जावें । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरडी 1986 पेज 583 उद्वरत की ।

9. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी वादिनी मृतक सीताबाई के पिता स्वर्गीय श्री रामनारायण जी के खाते की थी । वादिनी के पिता की सन् 1971 के आस–पास मृत्यु होने पर ग्राम पंचायत लटूरी द्वारा दिनांक 13.09.1972 को प्रतिवादी कम 1 व 2 के पिता स्वर्गी श्री किशनलाल को वादिनी के पिता रामनारायण का गोदपुत्र मानकर इंतकाल संख्या 89 तस्दीक किया । हिन्दू उत्तराधिकार 1956 के मुताबिक स्वर्गीय श्री रामनारायण जी का फौती इंतकाल वादिनी की बहिन मृतक धन्नी बाई जो उस वक्त जिन्दा थी, वादिनी की माता देवबाई उर्फ कान्हा बाई तथा प्रतिवादी कम 1 व 2 के पिता श्री किशनलाल के नाम संयुक्त रूप से तस्दीक होना चाहिए था । कानूनन किसी भी व्यक्ति के हिस्से का हस्तान्तरण विकय, दान अथवा रिलीज करवाये बिना हस्तान्तरित नहीं हो सका । काननून प्रतिवादी कम 1 व 2 अपीलान्ट के पिता किशनलाल का वादग्रस्त आराजी में 1/4 हिस्से पर ही हक बनता है । वादिनी मृतक सीता बाई ने कभी अपने हक हिस्से का हस्तान्तरण, दान विकय अथवा हक त्याग नहीं किया । वादिनी को अपने पिता की सम्पत्ति में प्राप्त हिस्से को उसके द्वारा दान, विकय अथवा रिलीज डीड के बिना महरूम नहीं किया जा सकता । ग्राम पंचायत लटूरी में वादिनी को बुलाया गया था उन्होंने ग्राम पंचायत को कभी भी यह नहीं कहा कि वह अपना हिस्सा नहीं लेना चाहती । ग्राम पंचायत में वादिनी के अंगूठा निशानी हिस्सा लेने बाबत् करवाये गये थे । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.10.2021 एवं संशोधित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.10.2021 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में 2015 एसएआर (सिविल) पेज 611, आरआरडी 1995 पेज 113, एआईआर 1997 (एससी) पेज 2719 उद्वरत की ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । वादिनी मृतक सीता बाई ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 53 एवं 54 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर

कथन किया और वादग्रस्त आराजी में अपना हक हिस्सा निहित होने का कथन किया । परीक्षण न्यायालय ने वादिनी का वाद स्वीकार कर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री पारित करने का आदेश पारित किया है ।

11. परीक्षण न्यायालय की पत्रावली में नकल जमाबन्दी संवत् 2026 से 2030 प्रदर्श– 1 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम लटूरी की खसरा नम्बर 54 रकबा 14 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 101 रकबा 22 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 290 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 527 की रकबा 03 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 532 की रकबा 02 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 100/611 रकबा 03 बीघा एवं खसरा नम्बर 432 की रकबा 12 बिस्वा कुल 07 किता की रकबा 47 बीघा 17 बिस्वा भूमि रामनारायण बेटा देवलाल के खातेदारी में दर्ज है । नकल नामान्तरकरण रजिस्टर प्रदर्श– 2 संलग्न है जिसके अनुसार नामान्तरकरण संख्या 89 दिनांक 13.09.1972 खातेदार रामनारायण की मृत्यु हो जाने पर रामनारायण के गोदपुत्र किशनलाल गोद पुत्र का नाम दर्ज करने की स्वीकृति प्रदान की गई है तथा पुत्रियॉ धन्नी, छीता व बेबा कान्हा मौजूद हैं पुत्रियॉ अपना हिस्सा नहीं लेना चाहती अंकित किया हुआ है तथा नारायण के पुत्र किशनलाल बेवा कान्ही का नाम खातेदारी में अंकित किये जाने का आदेश है । नकल जमाबन्दी संवत् 2031–2034 प्रदर्श– 3 संलग्न है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी किशनलाल बेटा रामनारायण, कान्ही बेवा रामनारायण के खातेदारी में दर्ज है । नकल नामान्तरकरण संख्या 149 प्रदर्श–4 संलग्न है जिसके अनुसार काली बेवा रामनारायण के फौत हो जाने पर वादग्रस्त आराजी किशनलाल के नाम खातेदारी में दर्ज करने की स्वीकृति प्रदान की गई है । नकल जमाबन्दी संवत् 2035–2038 प्रदर्श– 5 संलग्न है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी किशनलाल बेटा रामनारायण के खाते में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2039 से 2042 प्रदर्श– 6 संलग्न है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी किशनलाल बेटा रामनारायण के खातेदारी में दर्ज है। प्रदर्श– 7 नकल जमाबन्दी संवत् 2052 से 2055 संलग्न है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी किशनलाल बेटा रामनारायण के खातेदारी में दर्ज है तथा इंतकाल संख्या 450 से मृतक किशनलाल के स्थान पर मांगीलाल, बाबूलाल पुत्रान का नाम खाते दर्ज करने का आदेश हुआ का नोट अंकित है ।

12. वादिनी की ओर से बयान सीताबाई पीडब्ल्यू–1 कराये गये हैं ।

13. प्रतिवादी की ओर से बयान बाबूलाल डीडब्ल्यू–1, मांगीलाल डीडब्ल्यू– 2 कराये गये हैं ।

14. हमने परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री का अवलोकन किया । परीक्षण न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर 05 तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर उभयपक्षकारान की साक्ष्य लेकर अपना निर्णय पारित किया है । अपीलान्ट ने अपील के पैरा संख्या 11 में कथन किया है कि **'राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के विपरीत प्रारम्भिक निर्णय एवं डिक्री की स्टेज पर ही भूमि वादी रेस्पोडेन्ट कम 1/1 लगायत 1/7 के खाते दर्ज किये जाने का एवं दखल दिये जाने का निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो त्रुटिपूर्ण है'**। विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने भी स्वीकार किया है और

कथन किया है कि अंतिम रूप से खाते बांधने का आदेश अंतिम डिक्री में ही होगा । परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय में वादग्रस्त आराजी बाबत् प्राथमिक डिक्री पारित की है और अपने आदेश के अंतिम पैरा में अंकन किया है कि **'वादीगण के खाते बांधे जाकर पृथक राज लगान अंकन करते हुए दखल दिये जाने के लिये विभाजन की डिक्री पारित की जाती है'** । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का उक्त भाग त्रुटिपूर्ण है क्योंकि परीक्षण न्यायालय ने विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित की है और प्राथमिक डिक्री में केवल हक घोषणा अनुसार हिस्से घोषित कर विभाजन प्रस्ताव मंगवाए जाते हैं । यहाँ अंतिम रूप से खाते बांधने का आदेश दिया जाना उचित नहीं है । अंतिम रूप से खाते बांधने का आदेश अंतिम डिक्री में दिया जाना उचित है सीपीसी की धारा 02 में भी प्रारम्भिक डिक्री के वारे स्पष्ट किया गया है कि – **'डिक्री तब प्रारम्भिक होती है जब वाद के पूर्ण रूप से निपटा दिये जा सकने से पहले आगे और कार्यवाहियाँ की जानी है वह तब अंतिम होती है जबकि ऐसा न्याय निर्णय वाद को पूर्ण रूप से निपटा देता है । वह भागतः प्रारम्भिक और भागतः अंतिम हो सकेगी'** । हम प्रस्तुत प्रकरण को परीक्षण न्यायालय को अपीलाधीन निर्णय में आंशिक संशोधन करते हुए प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

15. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.10.2021 एवं संशोधित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.10.2021 में इस प्रकार है कि – 'ग्राम लटूरी तहसील सांगोद की खसरा नम्बर 54 की 14 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 101 की 22 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 290 की 01 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 527 की 03 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 532 की 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 100/611 की 03 बीघा तथा खसरा नम्बर 432 की 12 बिस्वा कुल 07 किता की रकबा 47 बीघा 12 बिस्वा जिसके बाद सेटलमेंट हाल खसरा नम्बर 86 की रकबा 2.38 हैक्टर, खसरा नम्बर 179 की रकबा 1.63 हैक्टर, खसरा नम्बर 266 की रकबा 1.90 हैक्टर, खसरा नम्बर 267 की रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 392 की रकबा 0.17 हैक्टर, खसरा नम्बर 250 की रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 251 की रकबा 0.48 हैक्टर, खसरा नम्बर 854 की 0.41 हैक्टर, खसरा नम्बर 652 की रकबा 0.10 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 870 की 0.62 हैक्टर कुल 10 किता की रकबा 7.75 हैक्टर में से वादी कम 1/1 लगायत वादी कम 1/7 प्रत्येक को 1/21 हिस्से के सहखातेदार होने, प्रतिवादी कम 3 को 1/3 हिस्से का सहखातेदार होने तथा प्रतिवादी कम 1, 2 व 7 प्रत्येक को 1/9 हिस्से का सहखातेदार होने की प्राथमिक डिक्री पारित की जाती है साथ ही वादी कम 1/1 लगायत 1/7 को बनने वाले 7/21 हिस्से का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन की जाकर पृथक से राज लगान अंकन करने के लिए प्रारम्भिक डिक्री पारित की जाती है से वादीगण के खाते बांधे जाकर पृथक लगान अंकन करते हुए दखल दिये जाने के लिए विभाजन की डिक्री पारित की जाती है । तहसीलदार सांगोद को उक्तानुसार प्रस्तावित विभाजन तैयार करने के लिए तहरीर जारी हो' । परीक्षण न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री में पारित आदेश के भाग –**'वादीगण के खाते बांधे जाकर पृथक राज लगान अंकन करते हुए दखल दिये जाने के लिये विभाजन की डिक्री पारित की जाती है'** को निरस्त किया जाता है तथा शेष आदेश को यथावत रखा जाता है ।

16. प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आंशिक संधोधित प्रारम्भिक डिक्री में घोषित हिस्सा अनुसार तहसीलदार, सांगोद से विभाजन प्रस्ताव मंगवाकर विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान को आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना करते हुए घोषणा एवं विभाजन की अंतिम डिक्री गुणावगुण के आधार पर पारित करें' । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 05.07.2022 को परीक्षण न्यायालय में उपस्थित हों ।

17. निर्णय आज दिनांक 03.06.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा